

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-2/एल-87/2023- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० नेहा सिंह, दंत चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निर्मली, सुपौल द्वारा दिनांक-08.01.2020 से 04.02.2020 तक चिकित्सा हेतु उपभोगित अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1564(25) दिनांक-02.09.2024 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-180 एवं 230 के आलोक में निम्नरूपेण स्वीकृत किया जाता है:-

1.	दिनांक-08.01.2020 से 17.01.2020 तक	-	कुल-10 (दस) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
2.	दिनांक-18.01.2020 से 04.02.2020 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-87/2023- 269(2) पटना, दिनांक 24/02/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निर्मली, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/ डा० नेहा सिंह, दंत चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निर्मली, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।